

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....72...../2026
सं०सं० अ०नि० (02) 67/2025/नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 296(24) दिनांक 02.02.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री/श्रीमती चारु श्री, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत पिता के ईलाज हेतु दिनांक 01.02.2026 से 15.02.2026 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 67/2025/नि०सं०.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सुपौल/मुख्य अभियोजक, सुपौल/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सुश्री/श्रीमती चारु श्री, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
उप सचिव।

ज्ञापांक अ०नि० (02) 67/2025/नि०सं०...582...

दिनांक...22/2/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/2/26
उप सचिव।

Wahar